

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/2387

दिनांक 05/08/24

अनवान :-

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गेनाराम वगैरा	बनाम	जोगा वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 146/2024

दिनांक : 05.08.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा लीलसर के खेत खसरा सं. 290 रकबा 02.2986 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 306 रकबा 01.4002 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/2388 1092

उपखण्ड अधिकारी चौहटन
दिनांक 05/08/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण गेनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण जोगा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा



(मूरजमान विश्रोई)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन